-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना बदौसा क्षेत्र में वर्ष- 2020 में अपनी पत्नी को गोली हत्या करने वाले पति व उसके अन्य दो साथियों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 56 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना बदौसा क्षेत्र में अपनी पत्नी को गोली गोली मारकर हत्या करने वाले पति व उसके अन्य 02 साथियों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास तथा सास को 02 वर्ष के कारावास व कुल 56 हजार के जुर्मने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा क्षेत्र की रहने वाली मतिया पत्नी स्व0 रामभवन ने दिनांक 12.10.2020 को थाना बदौसा पर सूचना दी कि उन्होने अपनी पुत्री सुनीता की शादी थाना बदौसा क्षेत्र के ग्राम बंगाली पुरवा निवासी भैरवदीन पुत्र स्व भवनिया से की थी जिसको उसके ससुरालवालों ने दहेज के लिये प्रताड़ित कर दिनांक 12.10.2020 को मार कर फेक दिया। इस सम्बन्ध में थाना बदैसा में मु0अ0सं0 105/20 धारा 498ए/304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में पाया गया कि मृतिका के पति भैरवदीन द्वारा बताया गया था कि मैं अपनी पत्नी से बहुत तंग आ गया था उसने मेरे ऊपर भरण-पोषण का मुकदमा दायर कर दिया था और वह मेरे साथ नहीं रहती थी औऱ मेरी बच्ची को भी मुझसे अलग कर अपने मायके में रख रही थी जिससे हमने अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 11.10.2020 की रात्रि को गोली मारकर हत्या कर दी थी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 22.11.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। विशेष लोक अभियोजक श्री महेन्द्र द्विवेदी व विमल सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी योगेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी राहुल के अथक प्रयासों से 03 अभियुक्तों को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर सास को 02 वर्ष के कारावास व कुल 56 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **भैरवदीन उर्फ भैरमदीन पुत्र स्व भवनिया निवासी बंगाली पुरवा कस्बा व थाना बदौसा जनपद बांदा।**
2. **लाला कुशवाहा पुत्र रामऔतार निवासी बछनी पुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा।**
3. **रमेश पुत्र रामकिशुन निवासी चन्द्रनगर थाना बदौसा जनपद बांदा।**
4. **रानी पत्नी स्व0 भवनिया निवासी बंगाली पुरवा कस्बा व थाना बदौसा जनपद बांदा**